3.5.12 अरुण पंचायती चौथे ने प्रार्थना पत्र पर कार्यालय में तलब की गई। प्रार्थी ने बयान में निवेदन किया है कि ग्राम चौथे खुर्द खसरा नं. 38/0.77 की बजाय की 4 बीघा जमीन की पंचायती की गई थी तथा यही खसरा नं. 81/0.40, 153/0.36, 156/0.02, 157/0.37, 178/0.49, 196/0.58, 66/0.23 वाले ग्राम हसनपुर की बजाय गांव में अवैध निर्वाचन खारिज किया जाये।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त बयान की बाबत सुना तथा पंचायत मंत्री ने कैलाश लिखा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है खसरा नं. 81/0.40, 153/0.36, 156/0.02, 157/0.37, 178/0.49, 196/0.58, 66/0.23 वाले ग्राम हसनपुर तह. नगर की बजाय दिनांक 13.4.12 को जारी अंतरिम अवार्ड निर्वाचन प्रार्थी की प्रार्थना पर खारिज की जाती है। ख.नं. 38/0.77 वाले हसनपुर की बजाय जारी T.I. यथावत रहेगा। पंचायती निर्वाचन 8.5.12 को देय है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

4.5.12 आज पंचायती प्रार्थी एवं उनके वकील हैं। प्रार्थना पत्र पर कार्यालय में तलब की गई प्रार्थना पत्र [illegible] है कि वे अपना प्रार्थना पत्र [illegible] चाहते हैं [illegible] जाये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र [illegible] जारी शुदा T.I. खारिज किया जाता है। पंचायती चुनाव [illegible] हल्का वार्ड के लिए निर्धारित है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 11:41:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner